MR-769

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

संख्या–डीजी–आठ–77(24)2020 दिनांकः लखनऊः जुलाई 18 2020

सेवा में,

पुलिस आयुक्त,
लखनऊ / गौतमबुद्धनगर।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषयः **ईद–उल–जुहा (बकरीद) पर्व सकुशल सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश ।**

इस वर्ष चन्द्रदर्शन के अनुसार ईद–उल–जुहा (बकरीद) का पर्व दिनांक 01–8–2020 को मुस्लिम समुदाय के दोनों सम्प्रदाय शिया–सुन्नी द्वारा मनाया जायेगा । इस पर्व के अवसर पर पर मुस्लिम वर्ग द्वारा ईदगाह एवं मस्जिदों में प्रातःकाल 08.00 बजे से 1100 बजे के मध्य सामूहिक नमाज अदा की जाती है। नमाज अदा करने के पश्चात् तीन दिनों तक मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा कुर्बानी की जाती है ।

2.– बकरीद का त्यौहार साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से अति–संवेदनशील है। प्रायः ऐसे धार्मिक अवसरों पर किसी भी छोटी से छोटी घटना को तूल देकर अप्रत्याशित रूप से विवाद, तनाव, टकराव आदि की विषम स्थिति उत्पन्न करने के प्रयास होते हैं। पुराने लम्बित धार्मिक एवं साम्प्रदायिक प्रकरणों तथा ऐसे नये उत्पन्न विवादों, अपरम्परागत धार्मिक जुलूसों एवं कार्यो,छेड़खानी संबंधी घटनाओं, गौवंश वध / परिवहन आदि घटनाओं को लेकर पूर्व में कतिपय अवसरों पर साम्प्रदायिक सद्भाव प्रभावित होता रहा है। अतः उक्त के दृष्टिगत विशेष सर्तकता अपेक्षित है।

3– गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमो के आयोजनों के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। समस्त पुलिस अधिकारी अपने–अपने समकक्षीय मजिस्ट्रेट के साथ निरन्तर भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि निर्गत निर्देशों का प्रभावी अनुपालन किया जा रहा है। सघन गश्त करते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि कहीं भी सामूहिक आयोजन न होने पाये तथा भीड़ किसी भी दशा में एकत्र न होने पाये।

4– बकरीद त्यौहार के अवसर पर मुख्य रूप से निम्नांकित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:–

- धर्मगुरूओं द्वारा बकरीद का त्यौहार घर में ही मनाने, सामूहिक रूप से नमाज अदा न किये जाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाये।
- पुलिस द्वारा वाहनों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु लोगों को जागरूक किया जाये।
- स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों को सकिय कर दें एवं कानून–व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सूचनाओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्यवाही किया जाये।
- सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे–फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखी जाये। भ्रामक सूचना प्रसारित होने पर विधिक कार्यवाही करते हुए प्रभावी खण्डन किया जाये।

संख्या 10744
18 JUL 2020
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

- त्यौहार रजिस्टरों का परिशीलन कर ऐसे संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लें,जहॉ घटनायें होने की सम्भावना हो। ऐसे सभी स्थानों का संवदेनशीलता के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा भ्रमण किया जाये एवं समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।
- थाने पर उपलब्ध रजिस्टर न0–8 की प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय। असामाजिक/साम्प्रदायिक तत्वों की सूचियों को अद्यावधिक किया जाये और तद्नुसार आवश्यकता पड़ने पर इन साम्प्रदायिक एवं अवॉछनीय तत्वों के विरूद्व कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि वह छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लें तथा घटनास्थल का तत्काल निरीक्षंण करें एवं विद्यमान विवाद को हल करने तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को समाप्त करने हेतु कड़े एवं प्रभावी उपाय सुनिश्चित करें।
- विगत वर्षो में बकरीद के अवसर पर कुर्बानी/नमाज आदि को लेकर यदि कोई विवाद परिलक्षित हुआ हो तो उसका निस्तारण कर लिया जाय। इसी कम में यदि कोई नया विवाद प्रकाश में आया हो तो समय रहते उसका निस्तारण करा लिया जाये।
- मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी किया जाये।
- प्रातःकालीन चेकिंग हेतु मार्निंग पार्टी का गठन समस्त थाना क्षेत्रों में किया जाये। इस टीम द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों के आस–पास आपत्तिजनक बैनर, पोस्टर, वस्तुयें इत्यादि होने पर समय रहते आवश्यक कार्यवाही किया जाये।
- जनपद के अपराधी, गुण्डा एवं साम्प्रदायिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाये एवं आवश्यकतानुसार निरोधात्मक/विधिक कार्यवाही किया जाये।
- आतंकवादी घटनाओं के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों में एण्टी सेबोटाज चेक, एक्सेस कन्ट्रोल तथा क्यू0आर0टी0 का व्यवस्थापन किया जाये।
- सीसीटीवी कैमरा के व्यवस्थापन हेतु संवेदनशील स्थानों/चौराहों का चयन तथा वीडियोग्राफी की टीमों का गठन करा लिया जाये।
- जनपद में उपलब्ध पुलिस बल की समीक्षा कर लें तथा अधिक से अधिक संख्या में पुलिस बल का व्यवस्थापन कानून–व्यवस्था बनाये रखने में किया जाये। दंगा निरोधी उपकरणों से सुसज्जित रिजर्व पुलिस बल तैयारी हालत में रखा जाये।
- बकरीद के अवसर पर जनपदों को जोन व सेक्टर में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन व सेक्टर में मजिस्ट्रेट एवं समकक्ष पुलिस अधिकारी व पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त किया जाये।
- साम्प्रदायिक हॉटस्पाट्स पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पिकेट की भी आवश्कतानुसार तैनाती की जाये।
- यूपी–112 के वाहनों को बकरीद के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों, मार्गो में व्यवस्थापन किया जाये।
- गोवध जैसी घटनाओं तथा गोवंश के अवैध परिवहन पर पूर्ण प्रभावी नियंत्रण करने के लिये आवश्यक उपाय किये जायें।
- नमाज के समय ईदगाहों/मस्जिदों के निकट नमाजियों के आवागमन के मार्गो पर सुअरों व अन्य जानवरों का विचरण न होने पाये।
- खुले स्थानों में कुर्बानी/गैर मुस्लिम क्षेत्रों से खुले रूप में मांस ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

- गैर मुस्लिम धार्मिक स्थलों के निकट तथा गैर मुस्लिम क्षेत्रों/सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी के अवशेष पड़े होने पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण सतर्कता बरती जाये।
- प्रतिबन्धित पशुओं की कुर्बानी के अफवाहों पर विशेष सतर्कता बरती जाये।
- ईद–उल–जुहा (बकरीद) का त्यौहार दिनांकः01.08.2020 को तथा श्रावण मास का अन्तिम सोमवार दिनांकः03.08.2020 को पड़ेगा। अतः विशेष सतर्कता/कड़े एवं प्रभावी उपाय सुनिश्चित किये जाये।
- अग्रिम पंक्ति में कार्यरत पुलिस कर्मियों को संक्रमित होने से बचाने हेतु ग्लब्स, मास्क एवं शील्ड उपलब्ध कराया जाये एवं इसके उपयोग करने के सम्बन्ध में सतत् पर्यवेक्षण किया जाये। ड्यूटी के दौरान सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, ताकि बकरीद के अवसर पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित होने पाये और बकरीद का त्यौहार सकुशल सम्पन्न हो सके।

(एच0 सी0 अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित–

1– पुलिस महानिदेशक (अभिसूचना), उ0प्र0।
1– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

I/C zone email/email

Pl send Range/Distt

DGP.